



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, नई टिहरी।



E-Mail-eepwdtehri@rediffmail.com

पत्रांक- 2786 / 23 सी0
सेवा में,

दिनांक- 28/09/2024

प्रमागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी, टिहरी गढ़वाल।

विषय:- जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत कैथोली से नैखरी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.47 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या- 583/FP/UK/ROAD/8840/2014 दि0 19.08.2015, 2404/1जी-5057(टिहरी सै0स्वी अनु0) दि0 24.05.2024 एवं प्रमागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग नई टिहरी का पत्र सं0 3675/12-1 नई टिहरी दि0 12.06.2024 एवं भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र सं0 8बी/यू0सी0पी0/06/47/2015/एफ0सी0/995 दि0 17.08.2015 एवं सैद्धान्तिक स्वीकृत का पत्रांक सं0-3093/23 सी0 दिनांक 30.10.2015 एवं पत्रांक सं0 434/12-1 नई टिहरी दिनांक 29.08.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करेगे, जिसके क्रम में भारत सरकार के उक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा कुछ शर्तों पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, सभी शर्तों की बिन्दुवार आख्या विधिवत स्वीकृति हेतु निम्नवत् है:-

- 1- शर्त सं0 1 के अनुपालन में प्रस्तावित 2.94 हे0 सिविल एवं सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु वांछित धनराशि रू0 615536.00 एवं एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 965790.00 कुल धनराशि रू0 1581326.00 मात्र Compensatory Afforestation Fund (CAF) Uttaranchal/ 037100101025229 New Delhi Lodhi Complex/ Corporation Bank/IFSC CODE Corp0000371 एम0आई0सी0आर0 कोड 110017007 एवं ब्रांच कोड 000371 में E-Cheque के माध्यम से दि0 21.10.2015 को जमा की जा चुकी है एवं अतिरिक्त धनराशि रू0 511869.00 NEFT माध्यम से यूनियन बैंक संचालित कैम्पा कोष में यू0टी0आर0न0 SBIN224250153495 दि0 06.09.2024 द्वारा जमा कर दी गयी है। (संलग्न- 1,2,3)
- 2- शर्त सं0 2 के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित ग्राम घोघस सिविल एवं सोयम भूमि क्षेत्रफल 2.94 हे0 को वनविभाग को हस्तान्तरण हेतु जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल के पत्रांक सं0 2819/ XXVI -07(2014-15) दि0 08.09.2015 द्वारा आदेश पारित किये गये हैं। भूमि अन्तरित कर ली गयी है। (संलग्न- 4)
- 3- शर्त सं0 3 के अनुपालन में एन0पी0वी0 की पूर्व में रू 965790.00 तथा वर्तमान में संशोधित दरों के आधार पर अतिरिक्त धनराशि रू0 511869.00 (कुल रू 1477659.00) बिन्दु सं0 1 के अनुसार वन विभाग के पक्ष में जमा की जा चुकी है। (संलग्न- 1,3)
- 4- शर्त सं0 4 के अनुपालन में डिमान्ड नोट का नोडल अधिकारी द्वारा सत्यापन कर लिया गया है, जिसके पश्चात ही उक्त धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा की गयी है।
- 5- शर्त सं0 5 के अनुपालन में प्रमाणित किया जाता है कि यदि मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की दरों में बढ़ोतरी की जाती है, तो बढी हुई धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी जायेगी।
- 6- शर्त सं0 6 का अनुपालन करते हुये उक्त धनराशि बिन्दु सं0 1 के अनुसार आर0टी0जी0एस0 तथा NEFT के माध्यम से जमा कर दी गयी है। एन0पी0वी0 की संशोधित दरों के आधार पर अतिरिक्त धनराशि रू 511869.00 NEFT के माध्यम से यूनियन बैंक संचालित कैम्पा कोष में यू0टी0आर0न0 SBIN224250153495 दि0 06.09.2024 द्वारा जमा कर दी गयी है।
- 7- शर्त सं0 7 के सापेक्ष प्रमाणित किया जाता है कि जहां संभव होगा सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वनविभाग की देख रेख में Strip Plantation किया जायेगा।
- 8- शर्त सं0 8 के अनुसार मलवा निस्तारण योजना वनभूमि पर प्रस्तावित नहीं है।

044
28/09/2024

क्रमशः 2 पर

भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र के पेज सं० 2 में दी गयी शर्तों के अनुपालन में प्रमाणित किया जाता है कि—

- 1— वनभूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।
 - 2— एन०पी०वी० की बढ़ी दरों पर एन०पी०वी० की अतिरिक्त धनराशि रु 511869.00 जमा कर दी गयी है।
 - 3— प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आसपास मजदूरों एवं स्टाफ के लिये लैबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
 - 4— निर्माण कार्य के दौरान रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।
 - 5— प्रयोक्ता विभाग द्वारा वन विभाग की देख रेख में प्रत्यावर्तित भूमि का आर०सी०सी० पिलर लगाकर सीमांकन किया जायेगा, जिन पर Forward तथा Back bearing भी अंकित की जायेगी।
 - 6— परियोजना के निर्माण व रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जायेगी।
 - 7— वनभूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।
 - 8— मार्ग निर्माण हेतु कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जायेगा जिनकी सं० प्रस्ताव के अनुसार 55 से अधिक नहीं होगी।
 - 9— परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी की देख रेख में किया जायेगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा कहीं नहीं फेंका जायेगा।
 - 10— अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर वर्तमान में लागू नहीं होते हैं, भविष्य में आवश्यकतानुसार अनुमति ले ली जायेगी।
 - 11— ऐसी कोई भी अन्य शर्त जो भारत सरकार द्वारा भविष्य में पर्यावरण, वन एवं अन्य जीवों के संरक्षण हेतु अधिरोपित की जायेगी, का अनुपालन किया जायेगा।
- अतः उक्त पत्रों में दी गई सभी शर्तों का अनुपालन कर दिया गया है, अनुपालन आख्या के उपरान्त इस अनुरोध के साथ की उक्त मोटर मार्ग में विधिवत स्वीकृति प्रदान करने हेतु अपने स्तर से कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक— उपरोक्तानुसार

(इ० योगेश कुमार) 28.09.2024
अधिसासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, नईटिहरी।

प्रतिलिपि —

- 1— अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, वन विभाग, इंदिरानगर फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2— जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल को सूचनार्थ प्रेषित।
- 3— अधीक्षण अभियन्ता 8वां वृत्त, लो०नि०वि०, नई टिहरी को सूचनार्थ प्रेषित।
- 4— सहायक अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिसासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, नईटिहरी।

कार्यालय : प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी।

अनुसमांक - ०१
फोन/फैक्स : 01376-232077,
ई:मेल :

dfotehri_ua@rediffmail.com

पत्रांक : 3675/12-1
सेवा में,

नई टिहरी, दिनांक-

12/06/2024

✓ अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०दि०,
नई टिहरी।

विषय:- जनपद-टिहरी गढवाल में कैथोली से नैखरी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.47 है० वन भूमि में एन०पी०वी० की संशोधित दरों के अनुसार निर्धारण कर अतिरिक्त धनराशि की मांग सम्बन्धी (online no.FP/UK/ROAD/8840/2014).

सन्दर्भ:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून का कार्यालय पत्रांक-2404/1जी-5057(टिहरी सै०स्वी०अनु०), दिनांक-24.05.2024 एवं इस कार्यालय का पत्रांक-173/12-1, दिनांक- 21.07.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र से अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है वन भूमि हस्तान्तरण के ऐसे प्रकरण जिनमें सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत हुये 05 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है, ऐसे प्रकरणों में भारत सरकार के पत्रांक-05-03/2011-एफ०सी०(Vol-I), दिनांक-06-01-2022 द्वारा निर्गत नवीनतम दिशा-निर्देशों के अनुसार एन०पी०वी० की संशोधित दरों के अनुसार निर्धारण कर अतिरिक्त धनराशि का मांग पत्र जारी कर प्रस्तावक विभाग से अतिरिक्त धनराशि वसूल करने के निर्देश प्राप्त हुये हैं।

उक्त प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्रांक- 08वी/यू०सी०पी०/06/47/2015/एफ०सी०/995, दिनांक-17.08.2015 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त विषयगत मोटर मार्ग हेतु एन०पी०वी० की संशोधित दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा करने हेतु संशोधित डिमाण्ड नोट निम्नानुसार है:-

1. ईको-क्लास श्रेणी	=	V th
2. हरियाली का घनत्व (प्रतिशत)	=	0.2(20%)
3. एन०पी०वी० की दर (प्रति है०)	=	10,05,210.00
4. आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल (है०)	=	1.47
5. कुल देय एन०पी०वी० की धनराशि (रुपये)	=	14,77,659.00
6. पूर्व में जमा की गई एन०पी०वी० धनराशि (रुपये)	=	-9,65,790.00
7. वर्तमानमें देय एन०पी०वी० की धनराशि (रुपये)	=	5,11,869.00

(14,77,659.00 - 9,65,790.00) पांच लाख ग्यारह जार आठ सौ उनहत्तर रू० मात्र की धनराशि कैम्पा कोष में जमा की जानी है। अतः उपरोक्त धनराशि कैम्पा कोष में जमा करते हुये चालान की प्रति एवं सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या ऑनलाईन एवं ऑफलाईन के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। ताकि प्रकरण को ससमय विधिवत् स्वीकृति हेतु उच्च स्तर को प्रेषित किया जा सकें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार

सहायक अभियन्ता (है०)।

20.6.24
20162024

पत्रांक:-

तददिनांकित।

प्रतिलिपि:-

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को आपके पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-

वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय,
(पुनीत तोमर)
प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।

(पुनीत तोमर)
प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।

कार्यालय : प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी।

फोन/फैक्स : 01376-232077,

ई.मेल :

dfotehri_ua@rediffmail.com

पत्रांक : 434 / 12-1

नई टिहरी, दिनांक-

21/08/2024

सेवा में

अधिरासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोडिंग/वि.वि.
नई टिहरी।

उपरोक्त 23/11
का. 53 का
दिनांक 21/8/24

विषय-

जनपद-टिहरी गढ़वाल में कैथोली से नैखरी गोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.47 हे० वन भूमि में एन०पी०वी० की संशोधित दरों के अनुसार निर्धारण कर अतिरिक्त धनराशि जमा करने के सम्बन्ध में।
(online no.FP/UK/ROAD/8840/2014).

सन्दर्भ-

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, देहरादून का पत्रांक-2404/1जी-5057(टिहरी सौ०रवी०अनु०), दिनांक-24.05.2024 एवं वन संरक्षक, मागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती का कार्यालय पत्रांक-2562/12-1, दिनांक-12.06.2024 एवं आपका पत्रांक-2300/23C, दिनांक-17.08.2024।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र से अपर प्रमुख वन संरक्षक, नोडल अधिकारी द्वारा जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत प्रस्तावित वन भूमि हस्तान्तरण के सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त प्रकरणों की जनपदवार/सेक्टरवार सूची इस कार्यालय को प्रेषित की गई है, जिनकी अनुपालन आख्या प्रेषित करने के निर्देश प्राप्त हुये है। उक्त प्रकरणों में यदि सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत हुये यदि 05 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है, तो ऐसे प्रकरणों में भारत सरकार द्वारा अपने पत्रांक-05-03/2011-एफ०सी०(Vol-I), दिनांक-06-01-2022 द्वारा निर्गत नवीनतम दिशा-निर्देशों के अनुसार बढी हुई अतिरिक्त एन०पी०वी० कि धनराशि जमा करते हुये अनुपालन आख्या भारत सरकार को विधिवत स्वीकृति जारी करने हेतु प्रेषित की जानी है।

उक्त पत्रों से जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन हेतु इस कार्यालय के पत्रांक-173/12-1, Dt-21.07.2023 एवं अनुस्मारक पत्रांक-3675/12-1, दिनांक-12.06.2024 से एन०पी०वी० की बढी हुयी अतिरिक्त धनराशि का मांग पत्र प्रेषित किया गया, जिसके अनुपालन में बढी हुयी एन०पी०वी० की अतिरिक्त धनराशि कैम्पा कोष में जमा कर चालान इस कार्यालय को प्रेषित किया जाना अपेक्षित था। किन्तु आपके द्वारा पत्रांक-2300/23C, दिनांक-17.08.2024 से पूर्व में प्रेषित अनुपालन आख्या बिना चालान (कैम्पा कोष में जमा कराई गई बढी हुयी अतिरिक्त एन०पी०वी० की धनराशि) के इस कार्यालय को उपलब्ध कराई गई है। जिस कारण अनुपालन आख्या उच्च स्तर को प्रेषित किया जाना सम्भव नहीं है।

अतः प्रकरण में बढी हुयी एन०पी०वी० की अतिरिक्त धनराशि को कैम्पा कोष में जमा करायें जाने का चालान इस कार्यालय को उपलब्ध करायें जाने का कष्ट करें। ताकि प्रकरण को विधिवत् स्वीकृति हेतु उच्च स्तर को प्रेषित किया जा सकें।

सहायक अभियन्ता (एन०पी०वी०) रोडिंग/वि.वि.

Urgent
Agreed
pls do the needful

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी
टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।

पत्रांक:-
प्रतिलिपि:-

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

तददिनांकित।

वन कक्षा


राज्यीय लेखाधिकारी के पुराने कार्यालय
रस्तावेज प्राप्त हुए 24/08/24



प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी

21/8/24

8/9/24, 12:16 PM

AGENCY COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया  Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 09-08-2024

Agency Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	6188400559
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/47/2015/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Yamuna Colony Dehradun Dehradun
Amount(in Rs)	511869/-

Amount In Words :Five Lakh Eleven Thousand Eight Hundred and Sixty-Nine Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896188400659 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jellitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

* This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

LB IN 224 250153495

भारतीय स्टेट बैंक
शु. वि. वि. सं. - 02981
09 SEP 2024
Shagun Chaudhary
PF No. - 1000569

Note:After making the required payment through cl even after 7 working days, then kindly mail a copy id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse ubin0903710@unionbankofindia.bank

https://forestsclearance.nic.in/useraccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD88402014659

1/14 मे

वन संरक्षक,
भागीरथी वृत्त,
उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती।

दिनांक 11/08/2014
संख्या 9/2/76
दिनांक 11/08/2014

वैषय- जनपद-टिहरी गढ़वाल में कैंबोली रो नैखरी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.47 हेक्टर वन भूमि के
कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून में
8डी/यू.सी.पी./06/47/2015/एफ0सी0/005 दिनांक 17-08-2015 (प्रति संलग्न)

संदेय,

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून को प्रेषित
विषयक संदर्भित पत्र को द्वारा विषयवर्तित वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण पर कतिपय शर्तों के अन्तर्गत
स्वीकृति निर्गत की गयी है। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में अनिवार्य
का अनुपालन किया जाना है :-

1. शर्त संख्या-1 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित 2.04 हेक्टर
ग्राम-घोघस सिविल एवं सोयम भूमि पर क्षतिपूर्क वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव जमा वन
धनराशि जमा की जानी है।
2. भारत सरकार द्वारा प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-1 के अनुसार क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु
चिह्नित ग्राम-घोघस सिविल एवं सोयम वन भूमि, जिसका क्षेत्रफल 2.04 हे० है, को मातृ वन
अधिनियम, 1927 के तहत संरक्षित वन घोषित किया जायेगा व इस भूमि को वन विभाग के पत्र में
नामान्तरित/हरतान्तरित किया जायेगा तथा इसे छः माह के अन्तर्गत आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया
जायेगा। उक्त कार्यवाही सम्पन्न करवाकर जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र तथा प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा
उक्त भूमि को अपने कब्जे में लिये जाने का प्रमाण-पत्र एवं क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध जमा वन
भूमि का उपयुक्तता प्रमाण-पत्र इस कार्यालय को अनुपालन आस्था के साथ उपलब्ध कराया जाना है।
3. शर्त संख्या-2 के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा ऑनलाईन भरे गये प्रपत्र भाग-2 के अनुसार
प्रश्नगत क्षेत्र इको क्लास-V के अन्तर्गत, घनत्व 0.2 है। तदनुसार भारत सरकार, पर्यावरण, वन वन
मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05-02-2009 में उल्लिखित शर्तों के
अनुसार एन0पी0वी0 की धनराशि आंकलित कर जमा की जानी है।
4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑन लाईन अपलोड कराया
गया है कि वन भूमि हरतान्तरण प्रकरणों में प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों के अनुपालन
आस्था/घालान ऑन लाईन अपलोड किया जाय। उक्त मामला में अपगत कराना है के 10
amendment Rules 2014 के विन्दु-8, उपविन्दु-क एवं ख में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार प्रयोक्ता
प्रभागीय वनाधिकारी, प्रयोक्ता एजेन्सी को सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों के अनुसार एन0पी0वी0,
क्षतिपूर्क वृक्षारोपण, आस-पास/मोटर मार्ग के दोनों ओर रिवत पडे स्थानों पर वृक्षारोपण, वनार को
धनराशि जमा करने हेतु डिमाण्ड नोट प्रेषित करेंगे, जो प्रयोक्ता एजेन्सी को द्वारा ऑन लाईन अपलोड
करेंगे, जिसका नोडल अधिकारी कार्यालय द्वारा ऑन लाईन शत्यापन किया जायेगा। तदनुसार प्रयोक्ता
एजेन्सी ऑन लाईन घालान जनरेट कर देय धनराशि को भुगतान की कार्यवाही करेंगे।
5. शर्त संख्या-3 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस आशय का वतनबद्धता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत
किया जाना है कि राशय रतर से यदि एन0पी0वी0 की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बड़ी भूख पर से
अतिरिक्त धनराशि जमा करावी जायेगी।


संख्या-4 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तुत पत्रों व देय प्रस्ताविकाओं को मिलाकर
 के Compensatory Afforestation Fund, (CAF) Financial SA Act No. 10/2002 के अन्तर्गत
 लोपी शायद नई दिल्ली में जमा कराया जाता है। प्रत्येक देय प्रस्ताविका को
 (CRP/0000271, MUCR Code-110017007 एवं Match Code 00000000) के अन्तर्गत
 में जमा कराया गयी प्रयोक्ता की पूर्ण देय प्रस्ताविकाओं के साथ जमा की जायेगी।
 दिनांक सहित भी इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाता है, ताकि इसकी पूर्ण
 की जा सके।

शत संख्या-5 के अनुपालन में सड़क निर्माण के पश्चात् जहाँ मजबूत हो सके
 Central Verge पर प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अपने व्यय पर वन निर्माण के देय प्रस्ताविकाओं को
 किया जायेगा। इस आशय की वचनबद्धता का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाता है।

8 यदि मलवा निस्तारण वन भूमि पर प्रस्तावित हो तो, मलवा निस्तारण स्थलों पर प्रस्तावित देय प्रस्ताविकाओं को
 वनाधिकारी की मोग के अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वांछित धनराशि सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी
 कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।

अतः भारत सरकार द्वारा पदतत् सैद्धान्तिक रवीकृति में अधिराजित उक्त शर्तों को निम्न
 अनुपालन आख्या सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के माध्यम से तीन प्रतियों में इस कार्यालय को सौंपना
 का कष्ट करें।

संतान-यथोपरि।
 21/8/15



1684
 21/8/15

मन्दीप

(एस0टी0एस0 लेटर)
 आपर प्रमुख वन संरक्षक एवं गॉडल आ. ए. ए.

संख्या 583 / FP/UK/ROAD/8840/2014 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 जिलाधिकारी, जनपद-टिहरी गढ़वाल।
 - 2 प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।
 - 3 प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, यमुना कालोनी, देहरादून।
 - 4 अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नई टिहरी।
- संतान-यथोपरि।

कार्यालय
 प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
 लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड
 देहरादून

(एस0टी0एस0 लेटर)
 आपर प्रमुख वन संरक्षक एवं गॉडल आ. ए. ए.

पत्रांक 1684/01 (क) वन 22/2015

दि 22/8/2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 - क्षेत्रीय प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग टिहरी।
- 2 - अधिशासी अभियन्ता एवं वन विभाग टिहरी।
- 3 - अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग देहरादून।

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
 लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड
 देहरादून

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रांतीय खण्ड, लो०नि०वि०, नई टिहरी

फोन/फैक्स नं०- (01376) 233312

ई० मेल- eepwdtehri@rediffmail.com

पत्रांक 3093/23सी०
सेवा में,

दिनांक 30/10/2015

प्रभागीय वनाधिकारी
टिहरी वन प्रभाग
नई टिहरी, टिहरी गढ़वाल।

2073

12/10/15

2-11/15

विषय:- जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत कैथोली से नैखरी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु
1.47 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी,
उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या-583/FP/UK/ROAD/8840/2014 दिनांक 19.08.2015
एवं भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्रांक
8बी/यू०सी०पी०/०६/४७/ 2015/एफ०सी०/995 दि० 17.08.2015।

महोदय

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करेगे, जिसका काम मैं भारत
सरकार के उक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा कुछ शर्तों पर रौद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, सभी शर्तों की बिन्दुवार
आख्या विधिवत स्वीकृति हेतु निम्नवत् है:-

- 1- शर्त सं० 1 के अनुपालन में प्रस्तावित 2.94 हे० सिविल एवं सोयम भूमि पर क्षतिपूर्क वृक्षारोपण एवं
10 वर्षों तक रख रखाव हेतु वांछित धनराशि रु० 615536.00 एवं एन०पी०वी० की धनराशि रु०
965790.00 कुल धनराशि रु० 1581326.00 मात्र Compensatory Afforestation Fund (CAF)
Uttaranchal/ 037100101025229 New Delhi Lodhi Complex/ Corporation Bank/IFSC
CODE Corp0000371 एन०आई०सी०आर० कोड 110017007 एवं ब्रांच कोड 000371 में E-
Cheque के माध्यम से दि० 21.10.2015 को जमा की जा चुकी है। (सुलभ सन्दर्भ हेतु पत्र संलग्न)
संलग्नक-1
- 2- शर्त सं० 2 के अनुपालन में क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु चिन्हित ग्राम घोघस सिविल एवं सोयम भूमि
क्षेत्रफल 2.94 हे० को वनविभाग को हस्तान्तरण हेतु जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल के पत्रांक सं०
2819/ XXVI -07(2014-15) दि० 08.09.2015 द्वारा आदेश पारित किये गये हैं। भूमि अन्तर्गत
कर ली गयी है। (सुलभ सन्दर्भ हेतु पत्र संलग्न) संलग्नक-2
- 3- शर्त सं० 3 के अनुपालन में एन०पी०वी० की धनराशि रु० 965790.00 बिन्दु सं० 1 के अनुसार वन
विभाग के पक्ष में जमा की जा चुकी है।
- 4- शर्त सं० 4 के अनुपालन में डिमान्ड नोट का नोडल अधिकारी द्वारा सत्यापन कर लिया गया है,
जिसके पश्चात ही उक्त धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा की गयी है।
- 5- शर्त सं० 5 के अनुपालन में प्रमाणित किया जाता है कि यदि मा० उच्चतम न्यायालय/भारत
सरकार द्वारा एन०पी०वी० की दरों में बढ़ोतरी की जाती है, तो बढी हुई धनराशि वन विभाग के पक्ष
में जमा कर दी जायेगी।
- 6- शर्त सं० 6 का अनुपालन करते हुये उक्त धनराशि बिन्दु सं० 1 के अनुसार आर०टी०जी०एस० के
माध्यम से जमा कर दी गयी है। जिसका यू०टी०आर०न०. S.B.A.N. दि० 23/10/15 है। संलग्न-
7- शर्त सं० 7 के सापेक्ष प्रमाणित किया जाता है कि जहाँ संभव होगा सड़क के दोनों किनारों तथा
Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वनविभाग की देख रेख में Strip
Plantation किया जायेगा।
- 8- शर्त सं० 8 के अनुसार मलवा निस्तारण योजना वनभूमि पर प्रस्तावित नहीं है।

कमशः 2 पर

भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र के पेज सं० 2 में दी गयी शर्तों के अनुपालन में प्रमाणित किया जाता है कि-

- 1- वनभूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।
 - 2- एन०पी०वी० की दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो वही दरों पर एन०पी०वी० जमा कर दी जायेगी।
 - 3- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आरापारा मजदूरों एवं स्टाफ के लिये लैबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
 - 4- निर्माण कार्य के दौरान रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।
 - 5- प्रयोक्ता विभाग द्वारा वन विभाग की देख रेख में प्रत्यावर्तित भूमि का आर०सी०सी० पिलर लगाकर सीमांकन किया जायेगा, जिन पर Forward तथा Back bearing भी अंकित की जायेगी।
 - 6- परियोजना के निर्माण व रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनरपतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जायेगी।
 - 7- वनभूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।
 - 8- मार्ग निर्माण हेतु कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जायेगा जिनकी सं० प्रस्ताव के अनुसार 55 से अधिक नहीं होगी।
 - 9- परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलबे का निस्तारण प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी की देख रेख में किया जायेगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलबा कहीं नहीं फेंका जायेगा।
 - 10- अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर वर्तमान में लागू नहीं होते हैं, भविष्य में आवश्यकतानुसार अनुमति ले ली जायेगी।
 - 11- ऐसी कोई भी अन्य शर्त जो भारत सरकार द्वारा भविष्य में पर्यावरण, वन एवं अन्य जीवों के संरक्षण हेतु अधिरोपित की जायेगी, का अनुपालन किया जायेगा।
- अतः उक्त पत्रों में दी गई सभी शर्तों का अनुपालन कर दिया गया है, अनुपालन आख्या के उपरान्त इस अनुरोध के साथ की उक्त मोटर मार्ग में विधिवत स्वीकृति प्रदान करने हेतु अपने स्तर से कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(इ० जगमोहन सिंह चौहान) 30/11/15
अधिसासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, नई टिहरी।
30/11/15

प्रतिलिपि -

- 1- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, वन विभाग, इंदिरानगर फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल को सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता 8वां वृत्त, लो०नि०वि०, नई टिहरी को सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- सहायक अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 5- श्री रामरतन पेटवाल, अगीन को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिसासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, नई टिहरी।

Unit Treasury System (UTS) (UP)

Cheque Adress

Government of Uttaranchal

Cheque No: UCR100109710150056 Date: 21-OCT-15

Div Code : 1007
 Grant No. : P.A.
 Code : D11000040
 Payment Type : Misc. Payment

Division Name : Provincial Engineer P.W.D.
 Scheme : 505 (P.W.D.) P/W
 Name : Compensatory Afforestation Fund (CAF) Uttaranchal
 Project Name : LAND COMPANTATION AND N.P.V. PAYMENT (STATE SEC

ALLOTTED AMT : 86422051 EXPENDITURE AMT : 76356947 REMAINING AMT : 10065104

TO THE ACCOUNT OF

Please pay to Compensatory Afforestation Fund (CAF) Uttaranchal Corporation Bank IFSC Code CORP0000371 Account No.037100101025229 as per detail below.

1.	In Contractor Bank A/C	1581326
	Total Payment	1581326

Amount in words : (Rs. Fifteen Lac Eighty-One Thousand Three Hundred Twenty-Six Only.)

Detail given above is checked by me personally and is correct.

Signature with Seal

[Signature]
Signature with Seal

Executive Engineer PD PWD Tehri

Divisional Account Officer
Provincial Division
P.W.D. New Tehri

[Handwritten notes]
P.D. PWD
N.T.H.

For Treasury Use

CR:UCR100109710150056 Date: 21-OCT-15

Voucher No. []
Voucher Date: []

Payment Id: []

Passed Amount Rs. : 1581326.00
 Amount at words : (Rs. Fifteen Lac Eighty-One Thousand Three Hundred Twenty-Six Only.)
 Bank Amount Rs. : 1581326.00 Amount By Td Rs. : 0.00

Accountant Signature

ATO Signature

Cr:UCR100109710150056 Date: 21-OCT-15

FT: Message Details

Handwritten: 21/10/2016 - 03 Page 1 of 1

Number	SBIN715301371600	Trans Branch	00001
Date	28/10/2016		
Unit	1561358		
Commission	0		

Beneficiary Details

Beneficiary A/C: 037100101025229

Benef. Name And Address:

Compensatory afforestation fund

03456788

Ind

Beneficiary bank/branch

IFSC Code:

CORP0000371

Details of Payment:

Error Code

Remitting Customer Details

Account Number:

00003129304000000

Remitter's Name And Address:

DIRECTOR TREASURES AND FINNAGE SER

23 LAXMI ROAD DALAHWALA

DEHRADUN UTTARAKHAND

248001

Sender's To Receiver Information

FINB

26 OCT 15 CCB100109710150055 DELC

Fun& Status

Close

FT: Message Details

25/10/2018 14:53

Sheet:

Date:

Unit:

Commission:

Team Branch:

Beneficiary Details

Beneficiary A/C:

Beneficiary Name And Address:

Remitting Customer Details

Account Number:

Remitter's Name And Address:

Beneficiary bank/branch

IFSC Code:

Sender's To Receiver Information

Details of Payment:

Error Code

Fund Status

Close

10/30/2018

आदेश:

भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय निर्वाह सेंटर वन
अनुसंधान संस्थान परिसर देहरादून के पत्र संख्या-8310/मु0सी010/08/47/2015
ए0सी0/995 दिनांक 17 अगस्त 2015 के द्वारा जनपद के अन्तर्गत कैथोली से नैखरी
मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.47हे0 वन भूमि के गैरवाणिज्यी कार्य हेतु ली0नि0वि0 को उक्त
मोटर मार्ग के निर्माण हेतु कतिपय प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन सैद्धांतिक स्वीकृति निर्गत की
गयी है। उक्त स्वीकृति की शर्त संख्या-01 के अनुसार कैथोली से नैखरी मोटर मार्ग के
निर्माण हेतु 1.47हे0 वन भूमि के प्रत्यावर्तन के सापेक्ष 2.94हे0 सिविल सौयम भूमि को
हस्तान्तरित किया जाना है।

उप जिलाधिकारी तथा तहसीलदार जाखणीधार द्वारा अपने प्रस्ताव दिनांक 27.
03.2013 की छायाप्रति सहायक अभियन्ता द्वारा सत्यापित कर संलग्न की गई है। जिसका
विवरण निम्नवत् है:-

तहसील	ग्राम सभा	पट्टी	खसरा संख्या	कुल रक्बा (हे0में)	याचित रक्बा (हे0में)
01	02	03	04	05	06
जाखणीधार	घोचस:	लामरीधार	1158	1.093	1.093
			1180	0.632	0.632
			1232	1.071	0.714
			1243	0.501	0.501
योग			4	3.297	2.940

उक्त प्रस्तावित कैथोली से नैखरी मोटर मार्ग का प्रस्ताव शासनादेश संख्या
2882/XVIII(II) 11-18 (120)/2010 दिनांक 11.11.2011 पर शासनादेश संख्या 2365
/XVIII(II)/13-18(120)/2010 टी0सी0 दिनांक 14 अक्टूबर 2013 के द्वारा प्राप्त
दिशा-निर्देशानुसार प्रस्तावित 1.47हे0 वन भूमि के सापेक्ष दुगनी 2.940हे0 सिविल राजस्व भूमि
वन विभाग के नाम प्रत्यावर्तन किया जाना है।

अतएव शासनादेश संख्या 2173/XVIII(II)/2012-18 (120)/2010 राजस्व
अनुभाग दिनांक 17 दिसम्बर 2012 के क्रम में उप जिलाधिकारी जाखणीधार द्वारा प्रस्तावित
की गयी ग्राम घोचस पट्टी लामरीधार की 2.940हे0 राजस्व सिविल भूमि उल्लिखित
शासनादेशों के आलोक में व्यापक जनहित के दृष्टिगत टिहरी वन प्रभाग नई टिहरी को
धतिपूरक वृक्षारोपण हेतु अन्तरित की जाती है। तहसीलदार जाखणीधार तत्काल उक्त भूमि का
राजस्व अभिलेखों में नामान्तरण/इन्द्राजी करना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त आदेश कृतीय/प्रतिपत्र A-0/2/पेटका0 अगस्त 2015 जिला अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

कार्यालय जिला अधिकारी टिहरी गढ़वाल। दिनांक 06

संख्या-2819 /XXVI-07 (2014-15) दिनांक नई टिहरी अगस्त, 2015

निर्माकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सचिव वन विभाग उत्तराखण्ड शासन।
- 2- आयुक्ता एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड।
- 3- आयुक्त, गढ़वाल गण्डल पोड़ी।
- 4- नोडल अधिकारी वन भूमि हस्तान्तरण वन विभाग उत्तराखण्ड देहरादून।
- 5- प्रभागीय वनाधिकारी टिहरी वन प्रभाग नई टिहरी।
- 6- उपजिलाधिकारी जाखणीधार।
- 7- अधिसारी अभियन्ता, प्रा0ख0ल0नि0वि0 नई टिहरी।
- 8- तहसीलदार जाखणीधार।

जिला अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।



GOVERNMENT OF INDIA
 MINISTRY OF ENVIRONMENT,
 FORESTS & CLIMATE CHANGE,
 REGIONAL OFFICE,
 Pearlton Road, FRI Campus,
 P.O. New Forest, Dehradun - 248004,
 Phone: 0135-2750809

भारत सरकार
 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
 क्षेत्रीय कार्यालय,
 पिरियन रोड,
 वन अनुसंधान संस्थान परिसर,
 पोस्टो न्यू फॉरेस्ट, देहरादून - 248000
 दूरभाष: 0135-2750809,
 ईमेल/Email - moef.dnd@rediffmail.com

पत्र सं. 08बी/यूएनपीओ/08/47/2015/एफएच/995

दिनांक/काल 2015

सेवा में
 प्रमुख सचिव (वन),
 उत्तराखण्ड शासन,
 कुमायूँ रोड, देहरादून।

विषय: जनपद-टिहरी गढ़वाल में कैंपोली से नैखरी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.47 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रस्तावित।

सन्दर्भ: अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन का पत्रांक संख्या-220/X-4-16/1(93)/2015 दिनांक-06.05.2015

संदर्भ

उपरोक्त विषय On Line Proposal No. FP/UK/ROAD/8340/2014 का अवलोकन करने का कर कृपया विचार करें।

विषयवस्तु प्रस्ताव पर केंद्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत स्वीकृति मांगी थी। इस विषय में मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्तावित प्रकरण पर समय-समय पर राज्य सरकार से प्रस्तावित जानकारी/दस्तावेज online मंगवाए जाते रहे जिनके प्राप्त होने तथा प्रस्ताव पर ध्यान पूर्वक विचार करने के उपरान्त ही टिहरी गढ़वाल में कैंपोली से नैखरी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.47 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रस्तावित हेतु वैधानिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

1. प्रयोजन अभिकरण द्वारा प्रस्तावित भूमि के बदले 2.94 हे० ग्राम घोषित सिविल सौम्य भूमि पर प्रतिवृत्त वृक्षारोपण एवं इसके लिए सभी आवश्यक वस्तु आवश्यक धनराशि (परिमाण दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जाएगी। तथा भूमि वन विभाग को वापस करे के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पास में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जाएगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने का प्रस्ताव ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जाएगी।
2. प्रयोजन अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये निर्देशों के अनुसार वर्तमान मूल्य (एन.पी.पी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
3. शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोजन अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोजन अभिकरण द्वारा वचन बढ़ता प्रस्तुत की जाए।
4. प्रयोजन अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये निर्देशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.पी.) तथा दूसरी सभी विधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रस्ताव तथा योजना प्रतिकरण (CAMPAL) के तहत जमा कराने के लिए संख्या 037100101025229 का परिचय बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) अर्थात्-11 भूतल सी०जी०डी० कक्षा०३०, ई००, सेक्टर १३, नई दिल्ली-110003 में जमा कराया जाए एवं इस कार्यालय को सूचित किया जाए।
5. सड़क निर्माण के पश्चात् जमा समय ही सड़क के दोनों किनारे तथा Central Verge पर प्रयोजन अभिकरण द्वारा जमा कराने का प्रस्ताव विभाग देख-रेख में strip plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बढ़ता प्रेषित करती होगी।

संप्रदायों का सही भावों को परिपूर्ण एवं विद्युत्वात् प्राप्त कर लेना ही है।
 विधिवत् स्वीकृति जारी की जायेगी। कृपया अपूर्ण परिभाषा का अर्थ इस दस्तावेज के अंतर्गत ही है।
 स्वीकृति तथा धरोहरा अभिकरण को वन भूमि परमाणुकरण की कार्यवाही तक नहीं की जायेगी।
 स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी नहीं की जायेगी।
 वैधानिक स्वीकृति की अनुपातन आख्या धैर्य करने को परमाणु विधिवत् स्वीकृति प्राप्त करने तक नहीं किया जायेगा।
 प्रदान की जायेगी-

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।
2. एनपीडी की दरों में अंतर बढोतरी होती है जो धरोहरा अभिकरण बढी दरों पर एनपीडी देने के लिए वन भूमि पर
3. पर्याप्त रूक्षारोपण हेतु क्षयित 2.04 है। सिद्धित एवं सोपन भूमि को 3 माह के अंदर भारतीय वन विभाग के अधीन आयेगी।
4. आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा तथा नोडल अधिकारी द्वारा अभिमुखता की एक प्रति भिजा जायेगी।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास भजदूरों/स्टीक के सिवै किसी भी प्रकार का कार्य नहीं किया जायेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान रगत पर कार्यरत भजदूरों एवं स्टीक के सिवै कोई भी कार्य नहीं किया जायेगा, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।
7. परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं का किसी प्रकार का क्षति नहीं पहुँचे।
8. प्रयोक्ता अभिकरण वन विभाग की देख-रेख में प्रत्यावर्तित भूमि का RCC Pillars लगाकर सीमांकन कार्य प्रारंभ पर Forward तथा Back bearing भी अंकित किया जाएगा।
9. परियोजना निर्माण से उत्पन्नित मलदे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रयागीत
10. वनभिक्षारी की देख-रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।
11. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन
12. जल्दी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
13. ऐसी अन्य कोई शर्त जो भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए उचित समझे जा सकता है।

यदि विधिवत् स्वीकृति में दी गई शर्तों का संतोषजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय
 (140एस0 नेगी)
 उप वन सचिव

असोयज नई
 (140एस0 नेगी)
 उप वन सचिव

प्रतिनिधि सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
 1. अपर वन महानिदेशक (एफओसी), पर्यावरण, वन एवं जलमयु परिमर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोरबाघ रोड, दिल्ली।
 2. अपर प्रमुख वन सचिव एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इंदिरा नगर फारेस्ट कॉलोनी, देहरादून उत्तराखण्ड।
 3. आदेश पत्रावली।